भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2310
दिनांक 09.08.2023/18 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

सीएफएसएल में साक्ष्य पर कार्रवाई

2310 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीएफएसएल में साक्ष्य पर कार्रवाई करने में औसतन कितना समय लगता है;
(ख) साक्ष्य पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक सीएफएल में प्राप्त अनुरोधों की संख्या का और जितने साक्ष्यों पर वास्तव में कार्रवाई की गई, उनकी संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा सीएफएसएल में साक्ष्य पर कार्रवाई करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार की फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री में साक्ष्य संग्रह और अपराध स्थल प्रबंधन प्रणाली के लिए एक 'दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली' और प्रोटोकॉल की शुरुआत करके साक्ष्य पर कार्रवाई करने की दक्षता में सुधार करने की मंशा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ग) केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) में साक्ष्य पर कार्रवाई करने में लगने वाला औसतन समय, साक्ष्य की प्रकृति, प्रदर्शों की संख्या और मामले की जटिलता के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होता है।

साक्ष्य पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक सीएफएसएल में प्राप्त अनुरोधों और जितने साक्ष्यों पर वास्तव में की गई कार्रवाई, की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक पर देखा जा सकता है।

देश में फोरेंसिक सुविधाओं का सुदृढीकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कमी के विश्लेषण (गैप-एनालिसिस) और मांग के मूल्यांकन पर निर्भर करती है। गृह मंत्रालय ने देश में सीएफएसएल

की फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भोपाल, गुवाहाटी, पुणे और कोलकाता में केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण। भोपाल, गुवाहाटी, और पुणे में स्थित आधुनिक प्रयोगशालाओं ने कार्य शुरु भी कर दिया है।

(ii) फोरेंसिक विज्ञान के नए विषयों जैसे कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, डिजिटल फोरेंसिक, डीएनए फोरेंसिक विश्लेषण, फोरेंसिक मनोविज्ञान आदि समेत केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन।

(iii) चंडीगढ़ स्थित केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा की स्थापना।

(iv) डिजिटल धोखाधड़ी / साइबर फोरेंसिक के महत्वपूर्ण मामलों की जांच करने के लिए, केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना।

(v) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2020 में संसद के अधिनियम के तहत, देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण और प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति प्रदान करने के लिए की गई थी।

(vi) "फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस)" द्वारा मानक बदलाव (टर्नअराउंड) समय के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(घ) अंतर-प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) समय पर और वैज्ञानिक जांच के लिए कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए पुलिस, अदालतों, अभियोजन, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं और जेलों द्वारा बनाए गए डेटा का एकीकरण प्रदान करता है और इसके भाग के रूप में ई-फोरेंसिक आईटी प्लेटफॉर्म शुरु किया गया है।

गृह मंत्रालय के तहत "फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय" ने देश में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में फॉरेंसिक जांच की गुणवत्ता और मानक सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं – एनएबीएल मानकों (आईएसओ 17025) के अनुसार प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन के लिए गुणवत्ता मैनुअल; फॉरेंसिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में कार्य पद्धती मैनुअल; जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह, संरक्षण और उसे लाने-ले-जाने के लिए दिशानिर्देश; और अपराध स्थल की जांच के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं।

****

<u>राज्य सभा अता. प्र.सं. 2310 दिनांक 09.08.2023</u>

अनुलग्नक

साक्ष्य पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक सीएफएसएल में प्राप्त अनुरोधों और जितने साक्ष्यों पर वास्तव में की गई कार्रवाई, की संख्या का ब्यौरा।

(01.04.2022 से 31.03.2023 तक)

सीएफएसएल का नाम	मामले आगे लाए गए	प्रदर्श आगे लाए गए	मामले प्राप्त	प्रदर्श प्राप्त	निपटाए गए मामले	निपटाए गए प्रदर्श
चंडीगढ़	1140	28385	4457	70318	3821	94452
हैदराबाद	403	50467	1735	43776	1860	88459
कोलकाता	1092	28957	2765	32260	2385	36421
दिल्ली*	953	66065	1029	77057	1021	73199
पुणे	490	40593	811	30342	816	31110
भोपाल	438	46323	598	39768	954	76496
गुवाहाटी	561	3258	1340	25547	949	19536

** सीएफएसएल, दिल्ली (तत्कालीन सीएफएसएल-सीबीआई) को नवंबर, 2022 से डीएफएसएस के नियंत्रण में लाया गया है। इसलिए, सीएफएसएल, नई दिल्ली के संबंध में दिया गया डेटा नवंबर, 2022 से मार्च, 2023 तक का है।*